

कार्यालय नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा(छ.ग.)

प्रारूप-नौ

(निगम 11 देखिए)

कॉलोनी विकास की अनुमति

दिनांक 15/03/2018

अनुमति क्रमांक 29

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956/छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तों) नियम 2013 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुये मेसर्स जे.आर.पी. एसोसीएट्स (पार्टनरशीप फार्म) द्वारा राकेश कुमार गुप्ता आ. श्री ताराचन्द गुप्ता, श्री जवाहर सोनी आ. श्री लालचन्द प्रसाद सोनी एवं अन्य 04, नमनाकला अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के खसरा नं. 151/145 रकबा 0.385 हे. 3850.00 वर्गमीटर पर ग्राम नमनाकला (पटपरिया) अम्बिकापुर, प.ह.नं. 11, रा.नि.मं. अम्बिकापुर-01 तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) स्थित आवासीय प्रयोजन (भूखण्डीय विकास) कॉलोनी विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. शहरी भूमि सीमा अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. छ.ग.भू-राजस्व संहिता 1956 के अंतर्गत भू-व्यपवर्तन का पालन करना होगा।
3. छ.ग.नगर तथा ग्राम नियंत्रण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तों का पालन करना होगा।
4. इस अनुमति के संबंध में किसी नियम/प्रावधानों का उल्लंघन होता है, तो यह अनुमति शून्य मानी जाएगी।
5. छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 7-8/2011/18 दिनांक 11.12.2015 अनुसार निम्न आय वर्ग का आरक्षण एवं आबंटन किया जावेगा।
6. प्रकरण से संबंधित किसी भी दस्तावेज में कूट रचना या अप्रमाणक होने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः शून्य हो जावेगी।
7. स्थल पर प्रस्तावित आंतरिक विकास कार्य के अतिरिक्त अन्य विकास कार्य किये जाने की स्थिति में इसकी सूचना निकाय को कार्य प्रारम्भ के पूर्व दिया जावेगा।



JRP ASSOCIATES
PARTNER

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
अम्बिकापुर